



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांक:-12.2.18

क.माक/वाद/2018/ 68  
प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गोरधनराम पुत्र भैराराम जाति  
जाट निवासी भगोणियों की  
ढाणी, माडपुरा बरवाला तह.  
बायतु जिला बाड़मेर

1. देवी पत्नी रतनाराम वगैरा 3  
निवासी भगोणियों की ढाणी,  
माडपुरा बरवाला तह. बायतु  
जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 43/18

आदेश

मौजा भगोणियों की ढाणी पटवार हल्का माडपुरा बरवाला के खेत खसरा नम्बर 707/222 रकबा 23.07 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअनिरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क.माक/वाद/2018/ 69-73  
प्रतिनिधि-जिम को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

(SDC)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक:-12.2.18

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री गोरधनराम पुत्र भैराराम।
4. विप्रार्थीगण देवी पत्नी रतनाराम वगैरा 3।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी (SDC)  
बायतु